न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– **राजेश कुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या :– **192 / 2024**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2024 / 301**

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1.ओमप्रकाश पुत्र अणदाराम 2.गणेशाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी रिकरलाई तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.हडमानराम पुत्र अणदाराम 2.श्रीमति सारो पत्नी अणदाराम 3.पुरखाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी रिकरलाई तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री बाबुलाल सांखला अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 11.09.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रिकरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 447 / 296 व 448 / 296 कुल क्षेत्रफल 18.9392 हैक्टयर व इसी ग्राम की खसरा संख्या 297,325 कुल क्षेत्रफल 2.5576 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम उमाराम व गणपतराम दर्ज है,जबकि प्रार्थीगण के वास्तविक नाम ओमप्रकाश व गणेशाराम है,लेकिन विवादित आराजी में अशुद्ध नाम की प्रविष्टि होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है,जिसके कारण प्रार्थीगण की अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्ध प्रविष्टि उमाराम व गणपतराम के स्थान पर ओमप्रकाश व गणेशाराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:54 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपरांत भी उपस्थित नहीं हुई। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण की ओर से आवेदन–पत्र के समर्थन में लिखित बयानात स्वरूप शपथ–पत्र पेश किए गए तथा विप्रार्थी संख्या 03 (पुरखाराम) की ओर से भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बयानात स्वरूप शपथ–पत्र पेश किया गया।

3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रिकरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 447/296 व 448/296 कुल क्षेत्रफल 18.9392 हैक्टयर व इसी ग्राम की खसरा संख्या 297,325 कुल क्षेत्रफल 2.5576 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण के स्थान धरेलू बोलचाल भाषा में उमाराम व गणपतराम रेकर्ड में अशुद्ध इन्द्राज हो रखा है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज किया गया है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम ओमप्रकाश व गणेशाराम दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाम प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम ओमप्रकाश व गणेशाराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में प्रार्थीगण के अशद्व नाम उमाराम व गणपतराम के स्थान पर ओमप्रकाश व गणेशाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश किए जावें।

4. हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रिकरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 447/296 व 448/296 कुल क्षेत्रफल 18.9392 हैक्टयर व इसी ग्राम की खसरा संख्या 297,325 कुल क्षेत्रफल 2.5576 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थीगण के नाम उमाराम व गणपतराम दर्ज है,जो कि प्रार्थीगण द्वारा अशुद्व होना बताया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में ओमप्रकाश का आधारकार्ड प्रति,पेनकार्ड प्रति,डाईविग लाईसेन्स प्रति,परिवार राशनकार्ड प्रति, जन–आधार कार्ड प्रति,कक्षा अष्टम बोर्ड परीक्षा 2007 का प्रमाण पत्र प्रति,विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रति,मूल निवास प्रमाण–पत्र छायाप्रति व गणेशाराम का आधार कार्ड प्रति,पेनकार्ड प्रति एवं परिवार राशन कार्ड छायाप्रति में प्रार्थीगण के सही नाम ओमप्रकाश व गणेशाराम दर्ज है। विवादित आराजी के सहखातेदार पुरखाराम द्वारा बयानात में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण उसके भतीज लगते है तथा प्रार्थीगण के विवादित आराजी मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखे है जबकि वास्तविक नाम ओमप्रकाश व गणेशाराम है। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ओमप्रकाश व उमाराम का विवादित आराजी में अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है तथा ओमप्रकाश व उमाराम एवं गणपतराम व गणेशाराम एक ही व्यक्ति है,इनके अलावा इस नाम के कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण के विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आराजी में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखे है,जो कि प्रार्थीगण की ओर से अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित भी किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में अपनें अशुद्व नाम दुरूस्त करवानें कें हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–रिकरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 447/296 व 448/296 कुल क्षेत्रफल 18.9392 हैक्टयर व इसी ग्राम की खसरा संख्या 297 व 325 कुल क्षेत्रफल 2.5576 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थीगण के नाम की अशुद्व प्रविष्टि उमाराम व गणपतराम के स्थान पर सही नाम ओमप्रकाश व गणेशाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बंदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11.09.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:54 IST
Reason: SelfAttested